

क्र./स्टोर/कैंटीन-मेस निविदा/एस.सी.ई.आर.टी./2019-20/3000 रायपुर दिनांक 06.09.19

निविदा फार्म क्रमांक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छ.ग. रायपुर के मेस/कैंटरिंग कार्य के लिए वर्ष 2019 हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र की बिक्री/जमा करने/खोले जाने की तिथि एवं समय तथा स्थान की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – दिनांक 07/10/2019, 2.00 PM तक
2. निविदा खोलने की तिथि – दिनांक 07/10/2019, 3.00 PM से

स्थान- संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग. रायपुर

निविदा प्रपत्र, नियम एवं शर्तें तथा अन्य जानकारी परिषद् की वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र का मूल्य 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) है, जिसे नगद जमा कर कार्यालय से अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर के नाम से) परिषद् की वेबसाइट से डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

निविदा हेतु पात्रता की शर्तें -

1. तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में वांछित 1 से 13 तक सभी अभिलेख एवं दस्तावेज सुस्पष्ट एवं पठनीय पाए जाने पर ही दूसरा लिफाफा अर्थात् वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
2. शासन द्वारा निषिद्ध अथवा अपात्र वेन्डर/संस्था बीच में ही कार्य छोड़कर चले जाने वाले अथवा कार्य प्रारंभ न करने वाले वेन्डर विचार योग्य नहीं होंगे।
3. वेन्डर के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित है, अथवा किसी न्यायालय द्वारा विगत 03 वर्षों में दोष सिद्ध ठहराया गया हो तो ऐसे वेन्डर विचार योग्य नहीं होंगे।
4. G.S.T. नम्बर का जीवित प्रमाण पत्र।
5. वेन्डर के विरुद्ध किसी भी बैंक/शासकीय संस्था द्वारा वसूली की कार्यवाही की गई हो अथवा किसी ठेकेदारी कार्य के लिए ब्लेक लिस्टेट किया गया हो तो ऐसे वेन्डर विचार योग्य नहीं होंगे।
6. वेन्डर द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रशिक्षार्थियों/अतिथितियों को उपलब्ध कराए जाने वाले नास्ता, लंच, डिनर, चाय/काफी, क्लास रूम एवं छात्रावास में समस्त आयटम्स की कुल राशि रुपये 185/- (एक सौ पच्चासी रुपये मात्र) से कम निविदा भरे जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। (सभी प्रचलित करों सहित)



7. निविदाकार द्वारा निविदा दो अलग-अलग सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। पहले लिफाफे के उपर तकनीकी निविदा तथा दूसरा लिफाफा के ऊपर वित्तीय निविदा लिखा जाना चाहिए। दोनों लिफाफा एक बड़ा लिफाफा के भीतर रखकर सीलबंद कर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में जमा करना होगा। जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होगी और उसे नहीं खोला जावेगा।

नोट :- निविदा जमा करने का तात्पर्य यह लगाया जायेगा जो वेन्डर को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की सभी शर्तें मंजूर है। वेन्डर द्वारा निविदा प्रपत्र में लिखें गए किसी भी अन्य शर्तों को मान्य नहीं किया जायेगा।

(अ) तकनीकी निविदा :- प्रपत्र भाग-1

तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्न अभिलेख/दस्तावेज रखना अनिवार्य है :-

1. निविदा आवेदन की राशि 500/- रु. डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग., रायपुर के नाम से देय होगी।
2. अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से रु. 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग., रायपुर के नाम से देय होगी। जो कि सेड्यूल बैंक द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
3. आयकर विभाग द्वारा आबंटित पेन नं. की छायासाप्रति।
4. फर्म का EPF पंजीयन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. फर्म का ESIC पंजीयन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
6. शासकीय, अर्धशासकीय (भारत सरकार, राज्य सरकार) द्वारा संचालित संस्थाओं में न्यूनतम विगत 3 वर्षों (2016-17, 2017-18, 2018-31 अगस्त 2019 तक) का मेस/केटरिंग कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
7. जी.एस.टी. नम्बर जीवित प्रमाण पत्र।
8. फर्म/समिति/सोसाईटी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
9. निविदाकार संस्था/फर्म का मेस/केटरिंग कार्य विगत तीन वर्षों का (2016-17, 2017-18, 2018-31 अगस्त 2019 तक) कुल टर्नओवर न्यूनतम 1.5 करोड़ (एक करोड़ पच्चास लाख रु.) (जिसका चार्टर्डेट एकाउन्टेड का सत्यापन प्रमाण पत्र) का प्रस्तुत किया जाना होगा।
10. निविदाकार का 100/- रु. का नान न्युडिशियन स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित (संलग्न प्रपत्र में) शपथ पत्र।
11. खाद्य और औषधी नियंत्रक विभाग द्वारा जारी फूड लायसेंस।
12. उपरोक्तानुसार उल्लेखित तकनीकी निविदा में प्रस्तुत की जाने वाली अनिवार्य दस्तावेज के संबंध में शासन द्वारा छूट प्राप्त हो तो शासनादेश की प्रति।

13. दस्तावेज की सूची।

(ब) वित्तीय निविदा प्रपत्र भाग-2 :-

वित्तीय निविदा के लिफाफे में निम्न अभिलेख/दस्तावेज रखना अनिवार्य है:-

वित्तीय निविदा प्रपत्र में निम्नानुसार (1) नास्ता (2) लंच (3) डिनर (4) सुबह-शाम की चाय/काफी नास्ता सहित प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन का पृथक-पृथक दर रूपये में निर्धारित कालम में प्रस्तुत किया जावे, तत्पश्चात् उक्त 04 आयटम की दर का कुल योग अंकित किया जावे। अतिरिक्त खाद्य सामग्री एवं हाई-टी के प्रत्येक सामग्री की अलग-अलग दर अंकों एवं शब्दों में अंकित किया जाये, तत्पश्चात् कुल योग अंकित किया जावे। (मेनु प्रपत्र संलग्न है)

नोट:- निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर शासन को देय समस्त कर जैसे जी.एस.टी., आयकर सहित होगा।

चयन का आधार :-

वेन्डर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दरों की गणना के लिए :-

अ. (1) नास्ता (2) लंच (3) डिनर, (4) प्रशिक्षण कक्ष एवं छात्रावास में उपलब्ध कराई जाने वाली सुबह-शाम की चाय/काफी नास्ता पर होने वाले कुल दर को 90 प्रतिशत वेटेज की दर से गणना किया जायेगा।

ब. अतिरिक्त खाद्य सामग्री (क्रमांक 1 से 21 तक) व हाई-टी (क्रमांक 1 से 11 तक) की खाद्य सामग्रियों की कुल दरों के आधार पर 05 प्रतिशत वेटेज की दर से गणना किया जायेगा।

स. तकनीकी सफल वेन्डर के बीच खाद्य सामग्रियों से भोजन (लंच) तैयार कर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में गठित क्रय समिति के समक्ष डेमो प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा। डेमो प्रदर्शन हेतु खाद्य सामग्री निविदादाता को स्वतः लाना होगा। समिति द्वारा दिये गये अंक का 05 प्रतिशत वेटेज की दर से गणना किया जायेगा।

उपरोक्त अ, ब, स क्रमशः (90 प्रतिशत + 05 प्रतिशत + 05 प्रतिशत = 100 प्रतिशत) की दरों के योग से न्यूनतम दर की गणना की जायेगी।

अनुबंध का निष्पादन :-

1. वेन्डर को केटरिंग कार्य स्वीकृत होने पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व 100/- रूपये का नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर में कार्य की शर्तों का पालन हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
2. केटरिंग कार्य का अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। इसे दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्ष द्वारा 03 माह की पूर्व सूचना पर भंग किया जा सकेगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के साथ अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात् वेन्डर अनुबंधकर्ता कहलाएगा।
3. अनुबंधकर्ता का कार्य संतोषजनक तथा उत्तम पाये जाने पर अनुबंध की अवधि आगामी एक वर्ष तक के लिये दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

अनुबंध की अन्य शर्तें :-

4. अनुबंधकर्ता द्वारा शिकायत पुस्तिका डायनिंग हाल में अनिवार्यतः रखी जावेगी जो सप्ताह के अंत में प्रभारी अधिकारी/अधीक्षण छात्रावास के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
5. अनुबंधकर्ता द्वारा मेस हेतु न्यूनतम 10 कर्मचारी लगाये जावेंगे जो मेस कार्यों के लिए प्रशिक्षित हो अप्रशिक्षित कर्मचारियों को नहीं रखा जावेगा। मेस/किचन में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों की व्यवस्था अनुबंधकर्ता द्वारा स्वयं की जायेगी।
6. अनुबंधकर्ता की फर्म/संस्थान का EPF & ESIC तथा अन्य श्रम विभागों में पंजीकृत होना आवश्यक है जिसके द्वारा नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लाभ प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।
7. अनुबंधकर्ता को मेस संचालन के लिए नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की सूची पूर्ण पता एवं पुलिस वेरिफिकेशन सहित अधीक्षक, छात्रावास को 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराई जावेगी तथा कर्मचारियों के परिवर्तन की दशा में समान प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
8. अनुबंधकर्ता द्वारा अपने नियोजित कर्मचारियों को एक समान वर्दी तथा काले जूते तथा खाकी मोजे (दो जोड़ी वर्दी एवं काले जूते मोजे) दी जावेगी। जिसे पहनकर वे कार्य पर आयेगें। सभी कर्मचारियों को यूनिफार्म साफ-सूथरे एवं नाखून, बाल साफ एवं कटे होना चाहिए। भोजन पकान एवं परोसने वाले कर्मचारियों के लिए सर ढका (कैप) होगा तथा उन्हें दस्ताने एवं एपरन का उपयोग करना अनिवार्य होगा। कैप एवं एपरिन की व्यवस्था सफल वेंडर द्वारा स्वतः की जावेगी। सभी कर्मचारियों को ड्रेस सफल वेंडर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
9. अनुबंधकर्ता को एक मेस मैनेजर भी नियोजित करना होगा जो मेस कार्य की देखरेख करेगा एवं व्यवस्था बनाए रखेगा। मेस मैनेजर को मेस में उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा। मेस मैनेजर को पद की गरिमा के अनुरूप उपयुक्त ड्रेस में रहकर व्यवस्था की उचित देख रेख करनी होगी। मेस मैनेजर को ड्रेस अनुबंधकर्ता द्वारा उपलब्ध करायेगा।
10. अनुबंधकर्ता द्वारा मेस केटरिंग कार्य हेतु लगाए गए सभी मेस सुपरवाइजर/कर्मचारियों का व्यवहार फैंकल्टी/कर्मचारियों/प्रशिक्षार्थियों के साथ विनम्र तथा त्वरित सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना होगा।
11. अनुबंधकर्ता द्वारा किचन में उपलब्ध विशेषकर गैस, विद्युत चालक, के उपकरण केवल ऐसे कर्मचारियों से संचालित कराया जाये जो प्रशिक्षित एवं कुशल हो। यदि अकुशल/अप्रशिक्षित कर्मचारी की सेवा लेने पर कोई क्षति/नुकसान होती है, तो अनुबंधकर्ता स्वतः जवाबदार होगा। उपकरण के क्षति/नुकसान की राशि अनुबंधकर्ता से वसूली की जावेगी। इस उपकरण के क्षति/नुकसान की राशि जमा नहीं करने पर उनके द्वारा प्रस्तुत देयक से कटोत्रा कर वसूल की जावेगी।
12. अनुबंधकर्ता के अप्रशिक्षित/अकुशल कर्मचारियों से गैस/विद्युत चालक के उपयोग करने से यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार अनुबंधकर्ता होगा।
13. अनुबंधकर्ता द्वारा जो भी महिला कर्मचारी कार्य के लिए लगाए जावेंगे उन्हें सुरक्षित राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् लाने ले जाने के लिए अनुबंधकर्ता जवाबदार होगा।

14. अनुबंधकर्ता को प्रति 50 प्रशिक्षार्थियों पर एक बुफे/सर्विस प्वाइंट लगाना अनिवार्य होगा एवं 150 से अधिक व्यक्ति होने पर न्यूनतम 4 बुफे प्वाइंट लगाना होगा एवं प्रत्येक बुफे प्वाइंट पर एक सुपरवाइजर की व्यवस्था करना होगा जो कि मेस कार्य हेतु लगाए गए 10 कर्मचारियों एवं मेस मैनेजर के अतिरिक्त होंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के मुख्य भवन में प्रशिक्षण आयोजित होने पर प्रशिक्षणार्थी/अतिथियों हेतु प्रशिक्षण कक्ष के बाहर दोनों विंग में चाय/काफी पाईंट लगाना होगा।
15. अनुबंधकर्ता को कैंटरिंग कार्य में नियोजित अकुशल श्रमिकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कैंटरिंग का ठेका निरस्तकर दिया जावेगा।
16. अनुबंधकर्ता को श्रम संबंधी समस्त कानूनों का पालन स्वयं करना होगा और इस हेतु पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।
17. अनुबंधकर्ता किचन एवं भोजन परोसने के क्षेत्र अर्थात् डायनिंग हाल तथा उसके आसपास एवं इसमें लगे टेबल, कुर्सियों व इसमें लगे अन्य उपकरणों की साफ-सफाई तथा स्वच्छता के लिए जवाबदार होगा।
18. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जावेगा, गुणवत्ता की जांच हेतु गठित समिति माह में एक बार निरीक्षण करेंगे एवं रिपोर्ट संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को देंगे।
19. अनुबंधकर्ता को मेस में लाए गए सभी समान का भौतिक सत्यापन कराना होगा एवं समान के बिल को एक फाइल में रखा जाना होगा जो मेस कमेटी द्वारा मांग करने पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना होगा।
20. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा बिजली, पानी निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
21. भोजन को पकाने हेतु व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही उपयोग किया जावेगा एवं घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
22. अनुबंधकर्ता को प्रत्येक दिन के चाय, नाश्ता, लंच, डिनर के मीनू डिस्वले करना होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन अधीक्षक छात्रावास के बगैर अनुमति से नहीं किया जायेगा।
23. अनुबंधकर्ता को अन्य विभागों/बाहरी संस्थाओं के स्पेशल लंच/डिनर की व्यवस्था के लिए प्रभारी अधिकारी, मेस/अधीक्षक की अनुमति ली जानी अनिवार्य होगी।
24. छात्रावास में निवास कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को चाय, नाश्ता, लंच, शाम की चाय/नास्ता एवं डिनर का समय निम्नानुसार निर्धारित रहेगा :-
 - (1) प्रातः की चाय – प्रातः 06.00 से 07.00 बजे तक (छात्रावास में)
 - नाश्ता – प्रातः 08.00 से 09.00 बजे तक (छात्रावास में)
 - चाय – प्रातः 11.00 से 11.15 बजे तक (प्रशिक्षण कक्ष)
 - लंच – दोपहर 01.00 से 02.15 बजे तक
(छात्रावास डायनिंग हॉल में)

शाम की चाय/नाश्ता – सांय 05.00 से 06.00 बजे तक (छात्रावास में)
डिनर – रात्रि 08.00 से 09.30 बजे तक
(छात्रावास डायनिंग हॉल में)

(2) प्रशिक्षण में उपस्थित सभी अधिकारियों/प्रतिभागियों को क्लास रूम की चाय/काफी बिस्कुट की व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण कक्ष के बाहर दोनों विंग में स्टॉल लगाना होगा।

(परिषद् अपनी सुविधा के अनुसार उपरोक्त समय में परिवर्तन कर सकेगा)

25. बाहरी संस्थानों के सेमीनार हेतु लंच का समय दोपहर 2.00 बजे के बाद निर्धारित किया जावेगा। आवश्यकता अनुसार परिषद् लंच के समय में परिवर्तन कर सकेगा।
26. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रथम दिवस के लिए प्रशिक्षार्थियों/अतिथियों को नाश्ता की व्यवस्था प्रातः 10.30 बजे तक की जाना अनिवार्य होगा।
27. अनुबंध परिषद् द्वारा आयोजित प्रशिक्षण तथा अन्य सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित अधिकारियों के लंच, डिनर, शाम की चाय काफी नाश्ता क्लास रूम की दो समय की चाय, बिस्कुट तथा निर्देशानुसार विशेष लंच, डिनर, तथा हाई टी का बिल नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अधीक्षक छात्रावास के माध्यम से परिषद् को प्रस्तुत करेंगे। देयक का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर जैसे वेट, आयकर, व अन्य करों को काटकर किया जायेगा।
28. अनुबंधकर्ता द्वारा परिषद् को अधोसंरचना का उपयोग करने वाले विभागों एवं संस्थाओं में आमंत्रित लोगों के लिए भोजन, नाश्ता एवं चाय आदि की व्यवस्था राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित दरों पर की जायेगी। अगर इन संस्थाओं/विभागों द्वारा अतिरिक्त व्यंजनों की मांग की जाती है तो सफल वेंडर अपने स्तर पर विभाग/संस्था से समन्वय कर उसकी दर निर्धारित करेगा तथा उसका भुगतान सीधे आयोजनकर्ताओं से प्राप्त करेगा।
29. अनुबंधकर्ता रात्रि के समय अथवा आवश्यकता पड़ने पर मीनू में दर्शाए सामग्री के अतिरिक्त दूध, चाय, स्नैक्स इत्यादि प्रशिक्षार्थियों/अतिथियों को उपलब्ध कराना होगा जिसके लिए निविदा में स्वीकृत दरों के आधार पर उनसे राशि ले सकेगा।
30. अनुबंधकर्ता को डायनिंग हॉल के वाशबेसिन में हाथ धोने के लिये लिक्विड सोप, तौलिये की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
31. अनुबंधकर्ता को मेस हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रदायित समस्त सामग्रियों को समुचित तरीके से संधारण/रख-रखावकरना होगा एवं मेस एवं डायनिंग हॉल में उपलब्ध समस्त फर्नीचर, पर्दे उपकरण एवं आंतरिक साज सज्जा का समुचित रखरखाव एवं टूट फूट की जिम्मेदारी होगी तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को हुई किसी भी प्रकार की क्षति की वसूली अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयक से कटौती की जावेगी।
32. अनुबंधकर्ता द्वारा मेस में उपयोग की जा रही खाद्य सामग्रियों का मेस कमेटी द्वारा सतत निरीक्षण किया जायेगा, यदि घटिया किस्म की खाद्य सामग्री उपयोग किया जाना पाया गया तो अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

33. परिषद् द्वारा प्रदत्त एवं मेस में उपलब्ध अन्य उपकरण खराब होने के स्थिति में उसके सुधार कार्य अनुबंधकर्ता को स्वयं के व्यय से कराना होगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उपकरणों के सुधार कराए जाने पर इसमें होने वाले व्यय की राशि अनुबंधकर्ता के प्रस्तुत देयक से कटौती कर वसूल की जावेगी।
34. निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार रसोई, गृह एवं डायनिंग हॉल की साफ-सफाई व्यवस्था में कमी अथवा स्टाफ, वेटर्स तथा सुपरवाइजर्स आदि के द्वारा डायनिंग हॉल की खिड़कियों, सीढ़ियों तथा किचन के आसपास पान, गुटखा आदि थूकने संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत प्रमाणित होने पर राशि रू. 200/- प्रति शिकायत की दर से अनुबंधकर्ता के द्वारा प्रस्तुत देयक से राशि का कटौती किया जायेगा।
35. भोजन की गुणवत्ता से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत प्रमाणित होने पर राशि रू. 200/- प्रति शिकायत की दर से अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयक से राशि काटौती किया जायेगा।
36. अनुबंधकर्ता द्वारा भोजन, नाश्ता, चाय, दूध आदि की गुणवत्ता बनाये रखने में या मेस एवं भोजन पकाने एवं परोसने (Serve) में स्वच्छता सुनिश्चित करने या मेस का संचालन करने में कोई त्रुटि या हटाया जाता है और फलस्वरूप मेस संचालन का कार्य किसी उच्च दर वाले सेवा प्रदाता से कराने की मजबूरी आती है तो परिषद् में होने वाली आर्थिक हानि की वसूली प्रथमतः अनुबंधकर्ता के देयक से व राशि ज्यादा होने पर अमानत राशि से काटी जायेगी। अमानत राशि से कटौती की स्थिति में अनुबंधकर्ता उतनी राशिराज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में जमा करायेगा ताकि अमानत राशि का स्तर यथावत बना रहे।
37. बचे भोजन के अपशिष्ट को बायो डीग्रेडेबल तथा नान बायो डीग्रेडेबल के रूप में अलग-अलग करने उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट करने का दायित्व अनुबंधकर्ता पर होगा ताकि अपशिष्ट भोजन से किसी प्रकार की दुर्गंध या गंदगी न फैलाने, निर्देश का पालन न करने पर ठेका निरस्त करके अमानत राशि जप्त कर काली सूची में करने की कार्यवाही की जा सकती है।
38. अनुबंधकर्ता को चाय, नाश्ता, लंच, डिनर आदि की गुणवत्ता बनाये रखना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करना होगा। फीडबैक अथवा निरीक्षण में भोजन, चाय आदि की गुणवत्ता न्यून पाये जाने पर यह माना जायेगा की सेवा प्रदायकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा पाये जाने पर अनुबंध समाप्त कर स्वीकृत निविदा निरस्तर की जा सकेगी तथा द्वितीय निम्न दर वेंडर की निविदा स्वीकृत की जा सकेगी। इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को होने वाले नुकसान की वसूली की जावेगी।
39. अनुबंधकर्ता को प्रति सप्ताह राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में आयोजित होने वाले बैठक अथवा आवश्यकतानुसार आयोजित होने वाले बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बैठक में उपस्थित नहीं होने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
40. अनुबंधकर्ता को छात्रावास भवन में डेली नीड्स के सामान, साबुन, तेल, टूथ ब्रश, पेस्ट जैसे सामग्री रखना अनिवार्य होगा। जिसे MRP दर पर उपलब्ध करायेगा। इस कार्य के लिए परिषद् स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।
41. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त आवश्यक होने पर अतिरिक्त शर्त जोड़ा जा सकेगा।

42. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन पर प्रत्येक प्रकरण में 200.00 रू. अनुबंधकर्ता के देयक से राशि का कटौती किया जायेगा।
43. किसी भी निविदा को बगैर कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
44. किसी भी प्रकार की वाद-विवाद की स्थिति में संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् रायपुर का निर्णय अंतिम होगा एवं वेंडर पर बाध्यकारी होगा।

हस्ताक्षर

वेंडर का नाम


पता

.....

.....

मोबाइल नम्बर

फर्म की सील



राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
शंकर नगर, रायपुर
केटरिंग कार्य हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र भाग-1

निविदा फार्म क्रमांक

क्र./स्टोर/कैंटीन-मेस निविदा/एस.सी.ई.आर.टी./2019-20/3000 रायपुर दिनांक 06.09.19

1. फर्म/समिति/सोसायटी का पूरा नाम एवं पता :
2. प्रोपाइटर/फर्म/समिति/सोसायटी के स्वामित्व/अध्यक्ष का नाम एवं पता एवं पूर्ण पता टेलीफोन/मोबा./ई-मेल/फैक्स (सहित) :
3. आवेदक फर्म/समिति/सोसायटी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र/फर्म एवं संस्था/सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीयन क्र. एवं दिनांक (सहित छायाप्रति संलग्न करें) :
4. (शासकीय/अर्धशासकीय/भारत सरकार/राज्य सरकार) द्वारा संचालित संस्थाओं में विगत 03 वर्ष का (2016-17, 2017-18, 2018-31अगस्त2019तक) मेस/केटरिंग कार्य का कार्यादेश। (कार्यादेश प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें।) :
5. जी.एस.टी. क्रमांक :
6. सर्विस टेक्स क्रमांक :
7. मेस/केटरिंग कार्य से संबंधित गत तीन वर्ष का टर्नओवर (चाटर्ड एकाउंटेड द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।) :

वर्ष	राशि
2018-31अगस्त 2019तक
2017-18
2016-17
8. 100 रु. के नाम नान ज्युडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित संलग्न निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र मूलत :



9. खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग द्वारा जारी फुड :
लायसेंस/अनुज्ञप्ति का जारी दिनांक तथा वैधता की तिथि (छायाप्रति संलग्न करें)
10. A क्या आवेदक के विरुद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो उसकी जानकारी B यदि हां तो प्रकरण का उल्लेख दें
- C क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा विगत 03 वर्षों से किसी मामले में सिद्धदोष ठहराया गया है D यदि हां तो प्रकरण का विवरण दें
- E क्या आवेदक के विरुद्ध किसी बैंक अथवा शासकीय संस्था द्वारा वसूली की कार्यवाही की गई है F यदि हां तो पूर्ण विवरण दें
- G क्या आवेदक को कभी किसी ठेकेदारी कार्य के लिए दंडित किया गया है। विवरण दें
11. आयकर विभाग द्वारा जारी पेन का क्र. :
(आवंटित पेन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें)
12. आयकर विभाग में प्रस्तुत विगत 03 वर्षों :
(2016-17, 2017-18, 2018-19) का विवरण
13. जी.एस.टी. जमा की वर्ष (2018-19)
प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
14. तकनीकी निविदा में पेश किये जाने वाले दस्तावेज :
में यदि कोई शासन द्वारा छूट प्राप्त हो तो शासनादेश की छायाप्रति

15. निविदा आवेदन की राशि विवरण

ड्राफ्ट क्र.जारी दिनांक.....

..... राशि रू.

बैंक का नाम

16. अमानत राशि का विवरण

ड्राफ्ट क्र.जारी दिनांक.....

..... राशि रू.

बैंक का नाम

17. तकनीकी निविदा में रखे जाने वाला प्रपत्र/दस्तावेज.....

क्र.	नाम दस्तावेज/प्रपत्र	पृष्ठ क्रमांक
1.	निविदा आवेदन की राशि 500/- रू. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक सहित	
2.	अमानत राशि रू. 1,80,000/- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक सहित	
3.	पेन नम्बर की छायाप्रति	
4.	फर्म का EPF पंजीयन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।	
5.	फर्म का ESIC पंजीयन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।	
6.	विगत 03 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र	
7.	जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति	
8.	फर्म/समिति/सोसाईटी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र	
9.	विगत 03 वर्षों का न्यूनतम 1.5 करोड़ (एक करोड़ पच्चास लाख रू. मात्र) टर्न ओवर हो। (जो कि चाटर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित हो)	
10.	100/- रू. नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में (नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र	
11.	खाद्य एवं औषधी नियंत्रण द्वारा जारी फुड लायसेंस की छायाप्रति।	
12.	अन्य दस्तावेज	
13.	दस्तावेजों की सूची	

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

सील

// शपथ - पत्र //

मैं पिता उम्र

निवासी जिला

शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूं कि मैं/मेरी फर्म/संस्था
द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में मेस क्रेडिटिंग कार्य हेतु निविदा मेरे द्वारा
प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे फर्म/संस्थान/सोसाइटी के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में
आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। किसी न्यायालय द्वारा विगत 03 वर्षों में किसी भी दोष सिद्ध
नहीं ठहराया गया है किसी भी बैंक अथवा शासकीय संस्था द्वारा वसूल की कार्यवाही नहीं की
गई है एवं मुझे क्रेडिटिंग कार्य के लिए ब्लेक लिस्टेट नहीं किया गया है। निविदा प्रपत्र में सभी
जानकारी मेरे द्वारा स्वतः भरी गई है जो कि पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणिक है। किसी भी जानकारी
के असत्य पाये जाने पर अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में क्रेडिटिंग कार्य
की शर्तों के पालन न करने पर मैं/हमारी संस्था/फर्म स्वयं उत्तरदायी होगा। तथा संचालक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् मेरे/संस्था/फर्म के विरुद्ध किसी भी वैधानिक
कार्यवाही करने अथवा मेस क्रेडिटिंग का ठेका निरस्त किए जाने एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत जमानत की
सम्पूर्ण राशि राजसात किए जाने पर सक्षम होगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
द्वारा निविदा कार्य की सभी शर्तें मुझे मंजूर है।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

पूरा नाम

(शपथकर्ता का)

फर्म/संस्था का नाम

.....
(सील सहित)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

शंकर नगर, रायपुर

केटरिंग कार्य हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र भाग-2

निविदा फार्म क्रमांक

क्र./स्टोर/कैंटीन-मेस निविदा/एस.सी.ई.आर.टी./2019-20/3000 रायपुर दिनांक 06.09.19

1. आवेदक का नाम एवं दूरभाष क्र.

.....
.....
.....

2. निविदा की प्रस्तावित दरें :-

विवरण	दिन	प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्री का विवरण	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दर
1. नाश्ता	सोमवार	ब्रेड-बटर, सॉस-जेम, दूध, कार्नफलेक्स, बड़ा-सांभर-नारियल चटनी, चाय, काफी, मौसमी फल	
	मंगलवार	ब्रेड-बटर, सॉस-जेम, दूध, कार्नफलेक्स, पूड़ी, आलू-टमाटर, चाय-काफी, मौसमी फल	
	बुधवार	ब्रेड-बटर, सॉस-जेम, दूध, कार्नफलेक्स, पोहा-जलेबी, चाय-काफी, मौसमी फल	
	गुरुवार	ब्रेड-बटर, सॉस-जेम, छोले-भटूरे, दलिया, चाय-काफी	
	शुक्रवार	ब्रेड-बटर, सॉस-जेम, दूध, कार्नफलेक्स, वेजीटेबल पराठा, दही, आचार, मौसमी फल, चाय-काफी	
	शनिवार	ब्रेड-बटर, सॉस-जेम, दूध, कार्नफलेक्स, इडली-सांभर-नारियल चटनी, चाय, काफी, मौसमी फल	
	रविवार	ब्रेड-बटर, सॉस-जेम, दूध, कार्नफलेक्स, मसाला डोसा-सांभर-नारियल चटनी, चाय, काफी, मौसमी फल	
शब्दों में			
2. लंच	सोमवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही बूंदी रायता, चावल, आइस्क्रीम वनीला, मौसमी फल	
	मंगलवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही वेज रायता, चावल, आइस्क्रीम वनीला, मौसमी फल	
	बुधवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही बड़ा रायता, चावल, आइस्क्रीम वनीला, मौसमी फल	
	गुरुवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही बूंदी रायता, चावल, आइस्क्रीम वनीला, मौसमी फल	

	शुक्रवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही वेज रायता, चावल, आइस्क्रीम वनीला, मौसमी फल	
	शनिवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही बड़ा, रायता, चावल, आइस्क्रीम वनीला, मौसमी फल	
	रविवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही बूंदी रायता, चावल, आइस्क्रीम वनीला, मौसमी फल	
शब्दों में			
3. डिनर	सोमवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही वेज रायता, चावल, मूंगदाल का हलवा	
	मंगलवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही बूंदी रायता, चावल, कस्टर्ड	
	बुधवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, कढ़ी पकौड़ा, चावल, मूंगदाल का हलवा	
	गुरुवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही रायता, चावल, कस्टर्ड	
	शुक्रवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, कढ़ी पकौड़ा, चावल, मूंगदाल का हलवा	
	शनिवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही बूंदी रायता, चावल, कस्टर्ड	
	रविवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, कढ़ी पकौड़ा, चावल, चावल/सेवई -दूध का खीर	
शब्दों में			
4. सुबह-शाम का चाय/काफी नाश्ता	प्रतिदिन	चाय, काफी के साथ भजिया या मंगोड़ा या कटलेट-2 पीस या वेजिटेबल सेडविच सॉस सहित (2 पीस) उपरोक्त चारों आयटम में से कोई एक रोटेशन में (इसमें सुबह की चाय, क्लासरूम की दो बार चाय (बिस्किट सहित) शामिल है।)	
अ.		(कुल 1+2+3+4) चारों आयटम का कुल योग	
शब्दों में-			

नोट -एस.सी.ई.आर.टी. के बाहर रायपुर नगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रति भोजन कुल राशिपर 15% (पन्द्रह प्रतिशत) एवं रायपुर से बाहर प्रति भोजन कुल राशि पर 20% (बीस प्रतिशत) अतिरिक्त भुगतान दिया जावेगा।

कॉलम 1 से 21 तक अतिरिक्त खाद्य सामग्री की दर सूची (अलग-अलग)

क्रमांक	सामग्री का नाम	दर रू. में (अंकों में और शब्दों में)
1.	पनीर बटर मसाला (75gm)	
2.	मलाई कोफ्ता (75gm)	
3.	पालक/मटर-पनीर (75gm)	
4.	वेज पुलाव/फ्राईड राईस (100gm)	
5.	गुलाब जामुन (75gm)	
6.	गाजर हलवा/मुंगदाल का हलवा (75gm)	
7.	रसमलाई (75gm)	
8.	रसगुल्ला (75gm)	
9.	पेस्ट्री (50gm)	
10.	चावल/सेवई दूध का खीर (75gm)	
11.	उपमा (100 gm)	
12.	उत्तपम (2 नग)	
13.	छोले-भटूरे (2 नग)	
14.	सांभर बड़ा (2 नग)	
15.	ढोकला (75gm)	
16.	चीला (चावल) (2 नग)	
17.	फरा (100gm)	
18.	दाबेली (2 नग)	
19.	साबूदाना-खिचड़ी (150gm)	
20.	आलु-पराठा दही सहित	
21.	वेज चाऊमीन	
	कुल राशि रू.	

हाई-टी (क्र. 1 से 11 तक दर अलग-अलग)

क्रमांक	सामग्री का नाम	दर रू. में (अंकों में और शब्दों में)
1.	चाय	
2.	लेमन टी	
3.	काफी	
4.	भजिया-पकौड़ा (चटनी सहित) या अनुरूप अन्य मौसमीडिश	
5.	समोसा/कटलेट/कचौड़ी	
6.	डोसा	
7.	सांभर बड़ा/इडली सांभर	
8.	वेज सैण्डविच (सॉस सहित)	
9.	पेस्ट्री	
10.	कलाकन्द (75gm)	
11.	मिनरल वाटर (500 ml)	
	कुल राशि रू.	

टीप -

1. मिनरल वाटर आई.एस.आई. ब्रांड होना चाहिए।
2. मसाले, सॉस-जैम पी.एफ.ओ. ब्रांडेड होना चाहिए।
3. नाश्ता/लंच/डिनर हाई टी का उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री जैसे दूध, चावल, आटा, चाय, काफी, आयल, इत्यादि अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। खाद्य सामग्रियों के अन्य आयटम भी स्टैंडर्स कंपनियों के उच्च क्वालिटी के ही होना चाहिए।
4. मौसमी फल बदल-बदलकर सुबह-शाम दिए जावेंगे। केला सप्ताह में 2 बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।
5. मौसमी सब्जी भी सुबह-दोपहर बदल-बदलकर दिए जावेंगे। कोई भी सब्जी सप्ताह में 2 बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।
6. प्रशिक्षण दिवस में चाय/काफी के साथ चार नग (नमकीन बिस्किट पारले-2 नग तथा मीठा बिस्किट गुडे-डे 2 नग दिया जावेगा।

रायपुर

दिनांक



हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

सील